



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227867
CG-DL-E-24062021-227867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2347]
No. 2347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ 3, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

का.आ. 2525(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुरेश एन. पटेल, सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को श्री संजय कोठारी, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अवधि पूरी होने के कारण हुई रिक्ति पर, रिक्ति होने की तिथि अर्थात् दिनांक 24 जून, 2021 से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होने तक, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 399/5/2021-एवीडी-III]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2021

S.O. 2525(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 10 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the President is pleased to authorize Shri Suresh N. Patel, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, to act as the Central Vigilance Commissioner, in the vacancy caused due to completion of the tenure of Shri Sanjay Kothari, Central Vigilance Commissioner, with effect from the date of occurrence of vacancy i.e. 24th day of June, 2021, until the appointment of the Central Vigilance Commissioner.

[F. No. 399/5/2021-AVD-III]

LOK RANJAN, Addl. Secy. (S&V)